# घुमंतू और विमुक्त जनजातियों हेतु कल्याण बोर्ड

## चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के [मुख्यमंत्री ]योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य स्तरीय '[विमुक्त जनजाति दिवस]' समारोह के दौरान विमुक्त जनजाति और घुमंतू जनजातियों के लिये एक समर्पित **कल्याण बोर्ड** बनाने की घोषणा की।

- अब **31 अगस्त** को **विमुक्त जनजाति दिवस** के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 1952 में दमनकारी **आपराधिक जनजाति अधिनियम** के निरसन की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने इन समुदायों को अन्यायपूर्ण तरीके से अपराधी घोषित कर उनके अधिकार छीन लिये थे।

## मुख्य बिंदु

- **कल्याण बोर्ड के बारे में:**
  - नव गठित बोर्ड से इन समुदायों के लिये आवास, भूमि पट्टे और मतदान के अधिकार प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिये जाने की उम्मीद है।
  - यह बोर्ड **शामली** और **वनटांगिया मॉडल** के समान लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगा, जिसमें भूमि पट्टे, आवासीय कॉलोनियाँ तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल हैं।
  - समाज कल्याण मंत्री **असीम अरुण** को इस बोर्ड के गठन का कार्य सौंपा गया है।
- **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871:**
  - [ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार] ने वर्ष 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया था, जिसके अंतर्गत कुछ जनजातियों को "???? ?? ??????" घोषित किया गया और उन्हें निरंतर निगरानी व भेदभाव का शिकार बनाया गया।
    - विमुक्त जनजातियाँ और घुमंतू जनजातियों में **नट, बंजारा, बावरिया, सासी, कंजड़, कालबेलिया, सपेरा** तथा **जोगी** जैसे समुदाय शामिल हैं, जिनका विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है।
    - [डॉ. भीमराव अंबेडकर ]के प्रयासों से वर्ष 1952 में आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त करने के बाद इन समुदायों को औपचारिक रूप से अपराधी की परिभाषा से मुक्त किया गया।

## विमुक्त जनजातियाँ (DNT), घुमंतू जनजातियाँ (NT) और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ (SNT)

- **परिचय:**
  - विमुक्त जनजातियाँ उन समुदायों को कहा जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871** के अंतर्गत अपराधी घोषित किया गया था।
  - भारत सरकार ने वर्ष 1952 में इस अधिनियम को समाप्त कर इन्हें अपराधी की परिभाषा से मुक्त किया गया।
  - इन समुदायों में से अनेक घुमंतू प्रकृति के थे।
    - **घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदाय वे हैं,** जो स्थायी रूप से एक स्थान पर न रहकर लगातार भ्रमणशील जीवन जीते हैं।
  - अधिकांश DNTs,[ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC]) श्रेणियों में शामिल हैं, किंतु कुछ DNTs किसी भी श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं।
- **वितरण:**
  - विमुक्त जनजातियाँ विभिन्न प्रकार के समुदायों को शामिल करती हैं, जिनकी सांस्कृतिक प्रथाएँ, भाषाएँ और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ विशिष्ट हैं।
  - इन समुदायों में **कंजर, नट, पारधी और सपेरा** प्रमुख हैं।
  - दक्षिण एशिया को विश्व में सबसे बड़ी घुमंतू आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। भारत में लगभग 10% जनसंख्या NTs, SNTs और DNTs से मिलकर बनी है।
    - भारत में लगभग **150 विमुक्त जनजातियाँ** हैं, जबकि घुमंतू जनजातियों की आबादी में लगभग **500 अलग-अलग समुदाय** शामिल हैं।
- **प्रमुख समितियाँ/आयोग:**
  - **आपराधिक जनजाति जाँच समिति, 1947** (संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश)।
  - **अनंतशयनम अय्यंगार समिति, 1949** – इसकी अनुशंसा पर आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त किया गया।
  - **का**[का कालेलकर आयोग, 1953 (प्रथम OBC आयोग)]

- **बी.पी. मंडल आयोग, 1980** – इसने NTs, SNTs और DNTs से संबंधित कुछ सिफारिशें दीं।
- **संविधान के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (NCRWC), 2002** – इसने माना कि DNTs को गलत रूप से अपराध-प्रवण करार दिया गया है तथा कानून-व्यवस्था और सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार तथा शोषण किया गया है।
- **रेणके आयोग (2005):** इस आयोग ने इनकी जनसंख्या का अनुमान उस समय लगभग 10 से 12 करोड़ लगाया था।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/welfare-board-for-nomadic-and-denotified-tribes